<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 128/2018 आर.सी.टी.नं. 115/2018 संस्थापन दिनांक—28.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

लालु पिता हगरिया उम्र 30 वर्ष निवासी— करामतपुरा थाना—ठीकरी, जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 28.04.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त लालु पिता हगरिया भील के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 02.01.2018 को 18:53 बजे अभाली करामतपुरा रास्ता,अभाली ठीकरी आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के विना 10 लीटर कच्ची महुऑ शराब रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.01.2018 को मूखिबर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम करामतपुरा तरफ से लालु पिता हगिरया अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान मिथुन पिता गंगाराम एवं धनिसंह पिता मंगितया को सूचना से अवगत कराकर दोनों हमराह लेकर अभाली करामतपुरा रास्ते पर पहुंचा थोडी देर बाद करामतपुरा तरफ से एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर आते देखा, जिसे रोक कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लालु

\sim		
ानः	ਾਰਹ	

पिता हगरिया होना बताया। जिसके पास मिले झोले को चेक करते समय उसके अंदर एक प्लास्टिक की केन में महुआ की हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब 10 लीटर भरी मिली। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी लालु पिता हागरिया भील का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष आरोपी लालु के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआँ शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क0 04/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी लालु पिता हगरिया के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी लालु पिता हगिरया ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति 10 लीटर कच्ची महुऑं शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। 05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे। 06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन व बोलने पर व दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0 सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0